फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

पारसनाथ छिगन जैन मन्दिर बनाम रूपा पिता देवा

नाम मुकदमा नं. 5/19 सन्

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
7/1/19	पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से निर्णय दिनांक 17/7/18 कि प्रति के साथ प्राप्त हुई है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा 5000 रु. कि कॉस्ट पर वाद को पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिये गये। पक्षकारान को सूचित किया जावे। पत्रावली अब अग्रिम कार्यवाही में दिनांक 13/3/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	
13/3/19	पत्रावली पेश हुई P.O. सा. ~~कुत्ता~~ कार्यों में व्यस्त है। अब पत्रावली पुनः दिनांक 29/5/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) उप० चित्तौड़गढ़
29/5/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप०। विपक्षीगण सं. 2,3,4 कि ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुर्जर द्वारा पेश किया गया। शेष अप्रार्थी 1,5,7 तामील कुनिंदा अनुसार फौत हो चुके है। प्रार्थी अधिवक्ता कायम मुकाम ~~प्रार्थना~~ पेश करे। प्रार्थना-पत्र 09 R-9 CPC का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12/12/06	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस हुक्म में जारी
	को खारिज किया गया जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। जहाँ उनके निर्णय दिनांक 17/7/18 को पारित आदेश अनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र को 5000 रु. कि कॉस्ट पर पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु इस न्यायालय को निर्देश दिये गये। अतः माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार मूल पत्रावली को 5000 रु. कि कॉस्ट पर वापस अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः नम्बर पर लेने के लिए स्वीकार किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ तथा अप्रार्थी सं. 2,3,4 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए तथा इनकी ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुर्जर द्वारा पेश किया गया। अतः मूल पत्रावली को पुनः नम्बर पर दर्ज हो। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Scanned by CamScanner